<u>भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ</u>

फा. संख्या 7/27/2023-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 4 मार्च, 2024

<u>जांच शुरूआत अधिसूचना</u>
मामला संख्याः एडी (एए) -03/2023

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पालीएथीलीन टेरेफथलेट रेजिन " के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समामेलनरोधी जांच ।

1. **फा.सं.7/27/2023-डीजीटीआर-** समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए आईवीएल धुनसेरी पेट्रोकैम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिन्हे यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने चीन जन.गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित और वानकाई न्यू मेटेरियल्स कं. लि., या झेजियांग वानकाई न्यू मेटेरियल्स कं. लि. (जिसे आगे "वान्काई" अथवा "संबद्ध निर्यातक" भी कहा गया है) द्वारा उत्पादित "पालीएथीलीन टेरेफथलेट रेजिन" (जिसे यहां आगे **"पीईटी रेजिन"** अथवा **"संबद्ध वस्तु"** या **"विचाराधीन उत्पाद"** भी कहा गया है) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के समामेलन का आरोप लगाते

हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. अधिनियम की धारा 9क(1ख) और नियमावली के नियम 29(2) के अनुसार, जिसमें पाटनरोधी शुल्क के अधीन किसी वस्तु को ऐसी कीमत पर या ऐसी स्थिति में भारत में आयातित किया जाता है जिसे मौजूदा पाटनरोधी शुल्क का समामेलन समझा जाता है, इस प्रकार जिसे निष्प्रभावी किया जाता है या किया जा सकता है, निर्दिष्ट प्राधिकारी समीक्षा करने के बाद, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के पुन: आकलन के पश्चात पाटनरोधी शुल्क के रूप या आधार और/या उसकी राशि में बदलाव की सिफारिश कर सकते हैं। इसके अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग या किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से किए गए पर्याप्त साक्ष्य सहित आवेदन के आधार पर यह समीक्षा अपेक्षित है कि कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को शुल्क के समामेलन के कारण प्रभावी किया गया है या किया जा सकता है

क. <u>पृष्ठभूमि</u>

3. चीन जन.गण से पीईटी रेजिन के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच 1 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना द्वारा शुरू की गई थी । दिनांक 28 दिसंबर 2020 के अंतिम जांच परिणाम फाइल संख्या 6/24/2019-डीजीटीआर के माध्यम से प्राधिकारी ने 5 वर्षों की अवधि के लिए पीईटी रेज़िन के आयातों पर पाटनरोधी उपाय लगाने की सिफारिश की थी । इन शुल्कों को वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 27 मार्च 2021 की अधिसूचना संख्या 18/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से लागू पाटनरोधी शुल्क के रूप में अधिसूचित किया गया था । उक्त शुल्क 26 मार्च 2026 को समाप्त होने के लिए निर्धारित है । संबद्ध निर्यातक वंकाई द्वारा निर्यात 15.54 अमेरिकी डॉलर प्रति एम टी के शुल्क के अधीन है जबकि अन्य निर्यातकों पर लागू शुल्क 60.92 अमेरिकी डॉलर से 200.66 अमेरिकी डॉलर प्रति एम टी के बीच है ।

ख. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

4. विचाराधीन उत्पाद जिस पर पाटनरोधी शुल्क लागू है, का दायरा "वर्जिन पॉलीथीन टेरेफ्थेलेट (पीईटी) रेजिन" है जिसे पॉलीथीन टेरेफ्थेलेट रेजिन" के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा जिसमें 0.72 डेसीलीटर प्रति ग्राम या उससे अधिक की अंतर्निहित विस्कोसिटी होती है । वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही

ख. **<u>विचाराधीन उत्पाद</u>**

4. विचाराधीन उत्पाद जिस पर पाटनरोधी शुल्क लागू है, का दायरा "वर्जिन पॉलीथीन टेरेफ्थेलेट (पीईटी) रेजिन" है जिसे पॉलीथीन टेरेफ्थेलेट रेजिन" के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा जिसमें 0.72 डेसीलीटर प्रति ग्राम या उससे अधिक की अंतरर्निहित विस्कोसिटी होती है । वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहेगा जैसा मूल जांच में परिभाषित है। विचाराधीन उत्पाद के दायरे में रीसाइकल्ड पीईटी रेजिन शामिल नहीं है।

5. पीईटी रेज़िन का प्रयोग प्रीफॉर्म के विनिर्माण में होता है, जिसे बाद में मिनरल वॉटर, कार्बोनेटेड साफ्ट पेय, खाद्य तेल, भेषज उत्पादों आदि के भंडारण के लिए पीईटी बोतलों और जारों में परिवर्तित किया जाता है।

6. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 39 के अंतर्गत वर्गीकृत है और आगे, उपशीर्षक 3907 के तहत वर्गीकृत है। विचाराधीन उत्पाद को टैरिफ मदों 3907 61 10, 3907 61 90, 3907 69 30 और 3907 69 90 के अधीन आयातित किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ग. **<u>समान वस्तु</u>**

7. मूल जांच से पता चला था कि आवेदकों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तुओं में कोई खास ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण जैसे मापदंडों की दृष्टि से तुलनीय विशेषताओं वाले हैं। इन दोनों को तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापनीय पाया गया था। अत:, वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को वंकाई से आयातित संबद्ध वस्तु के "समान वस्तु" माना जा रहा है।

घ. <u>आवेदक</u>

8. समीक्षा की शुरूआत के लिए आवेदन आईवीएल धुनसेरी पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों ने दावा किया है कि भारत में समान वस्तु के दो अन्य उत्पादक हैं, अर्थात् जेबीएफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड और चिरिपाल पॉलीफिल्मस लिमिटेड भी हैं। आवेदकों का कुल घरेलू उत्पादन में 95% हिस्सा है।

ड. <u>समीक्षा का दायरा</u>

9. वर्तमान समीक्षा वैंकाई न्यू मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड या झेजियांग वांकाई न्यू मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड द्वारा लागू पाटनरोधी शुल्क के केवल समामेलन से संबंधित है । इस समीक्षा में वांकाई द्वारा सीधे या निर्यातकों के जरिए निर्यातित वस्तु शामिल है।

च. <u>समामेलन पुनः जांच के लिए आधार</u>

10. आवेदकों ने दावा किया है कि वंकाई की निर्यात कीमत में पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद उत्पादन लागत में किसी अनुरूप बदलाव के बिना कमी आई है । आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना में दर्शाया गया है कि यद्यपि, कच्ची सामग्री की लागत और उत्पादन की समग्र लागत में गिरावट आई है, तथापि, वंकाई की निर्यात कीमत में आई गिरावट काफी अधिक है। इस संबंध में, आवेदकों ने ट्रेड मैप में यथा प्रकाशित और उनकी अपनी उत्पादन लागत के अनुसार प्रमुख कच्ची सामग्रियों, पीटीए और एमईजी की कीमतों भरोसा किया है।

11. आवेदकों ने दावा किया है कि चूंकि तीसरे देशों को समान वस्तु के निर्यातों की निर्यातक-वार कीमत उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया गया है। किसी भी तरह पाटनरोधी नियमावली के नियम 29(1) के प्रावधानों में यह अपेक्षित है कि निर्यात कीमत में गिरावट की तुलना उत्पादन लागत में बदलाव <u>या</u> तीसरे देशों को निर्यात कीमत <u>या</u> भारत में वस्तु के पुन: बिक्री कीमत में बदलाव से की जाएगी । अत: यह आवश्यक नहीं है कि सभी तीन समामेलन के संबंध में निर्यात कीमत में गिरावट को सिद्ध किया जाए ।

12. आवेदकों ने पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में वृद्धि दर्शाते हुए प्रथम दृष्टया सूचना भी भी दी है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया सूचना चीन से उत्पादन की लागत में समुचित गिरावट के बिना आयात कीमत में गिरावट को दर्शाती है जिससे पाटनरोधी शुल्क के समामेलन और पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन में परिणामी वृद्धि का पता चलता है ।

13. नियमावली के नियम 29(3) के प्रावधानों के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू होने की तारीख से 2 वर्षों के भीतर समामेलनरोधी समीक्षा की शुरूआत की मांग करते हुए आवेदन कर सकता है । उक्त उप-नियम के परंतुक में प्रावधान है कि दिए गए मामले में विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर लिखित में दर्ज कारणों से प्राधिकारी दो वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद ऐसी जांच शुरूआत के आवेदन को स्वीकार कर सकते हैं ।

14. आवेदकों ने यह भी स्पष्ट किया है कि शुल्क लागू होने की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के बाद आवेदन दायर करने का उचित कारण मौजूद है । आवेदकों ने ध्यान दिलाया है कि उत्पादक वंकाई ने हाल की अवधि में अपनी क्षमताओं में काफी वृद्धि की है, और इसलिए, बनाई गई नई क्षमताओं के उपयोग के लिए शुल्क का समामेलन किया है। इसके परिणामस्वरूप भारत को वांकाई के निर्यातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आवेदकों द्वारा बताए गए औचित्य के मद्देनजर, प्राधिकारी ने शुल्क लागू होने से की अवधि से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद आवेदन पर प्रथम दृष्टया विचार करना उचित पाया है।

छ. समामेलन की अवधि

15. आवेदन को जनवरी-जून 2023 की अवधि को वह अवधि मानते हुए दायर किया गया था, जिसमें समामेलन हुआ है । आवेदक ने 23 सितंबर तक की अवधि का डेटा भी उपलब्ध कराया है। अत: वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ समामेलन की अवधि 1 जनवरी 2023 से 30 सितंबर 2023 (9 महीने) की मानी गई है। प्राधिकारी इस अवधि में कीमतों की तुलना मूल जांच की अवधि की कीमतों के साथ करेंगे ।

ज. समामेलनरोधी समीक्षा की शुरूआत

16. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और चीन जन.गण. से आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के समामेलन से संबंधित आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद, प्राधिकारी, एतद्द्वारा, चीन से उत्पादक/ निर्यातक द्वारा विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के समामेलन की मौजूदगी और प्रभाव को निर्धारित करने और अधिनियम की धारा 9क (1ख) और नियमावली के नियम 30 के अनुसार पाटनरोधी शुल्क की राशि और रूप में बदलाव की सिफारिश करने के लिए समामेलनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं ।

झ. प्रक्रिया

17. वर्तमान समीक्षा का दायरा पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की केवल पुन: गणना तक सीमित है। वर्तमान समीक्षा में नियमावली नियम 29, 30 और 31 के अंतर्गत यथा निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा। नियम 6 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों सहित लागू होंगे।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

18. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in. पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जानी चाहिए। यह सुश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

19. संबद्ध निर्यातक, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

20. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

21. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

22. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिकारिक वैबसाइट अर्थात http://www.dgtr.gov.in/ को नियमित रूप से देखते रहें ।

ट. <u>समय सीमा</u>

23. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर ई-मेल पतों adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

ठ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है ।

26. प्रश्नावली के उत्तर सहित-प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए- गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

27. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोध पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय"अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

28. प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी दस्तावेज के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकता है।

29. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

30. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

31. यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता को स्वीकार करते हैं तो वह ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

32. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों/उत्तर/सूचना का अगोपनीय अंश भेज दें । अनुरोधों/उत्तरों/सूचना के अगोपनीय अंश को परिचालित नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है ।

ढ. <u>असहयोग</u>

33. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी